

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

V-161  
24/8/23

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102551

दिनांक: 24/08/2023

लोक सूचना

वीआरबी ड्रीम होम्स प्रा.लि. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री बजरंग सिंह पुत्र स्व. श्री मदनलाल पंजीकृत कार्यालय 30, श्रीराम विहार विस्तार, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	जयसिंहपुरा वास भांकरोटा, सांगानेर (जयपुर)	वीआरबी ड्रीम होम्स प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय 30, श्रीराम विहार विस्तार, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर	197	7000	0.70
			197 / 1	7000	0.70
				कुल	1.40

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **24-08-2023** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-08/2023/डी- 2138

दिनांक 24/8/23

प्रारूप 13

(नियम 13(2)देखिए)

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत

### लोक सूचना


राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31.12.2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है/किया गया है। अतः उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके सहमति/असहमति में या आपके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरण होने के कारण नारायण सरोवर विकास समिति की योजना नारायण सरोवर (एफ-ब्लॉक) के सदस्यों द्वारा इसको अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्वर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क (8) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।


ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	खातेदार
ग्राम सुखिया	29	1.23	1. श्री सालासर ओवरसीज प्रा0लि0 पंजीयन कार्यालय बी-14-15 हीरानगर, शिप्रापथ कार्नर, गंगा ज ना तिराहा, मानसरोवर, जयपुर हिस्सा-6/7 खातेदार।
तहसील	30	0.86	
सांगानेर	31	0.48	
	32	0.14	
	33	0.25	


34	1.35	2. सुरेन्द्र कुमारी पत्नी श्री उदलसिंह हिस्सा-1/12 जाति-जाट सा.देह खातेदार
36	0.03	
37	0.14	
38	0.72	
29/565	0.16	
30/566	0.20	
33/605	0.04	
कुल किता-12	कुल-5.6 है0	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नम्बर 305, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यवसित कर भूमि को पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा। सूचित रहें। नोटिस आज दिनांक 24/8/23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

  
 प्राधिकृत अधिकारी,  
 जयपुर जिन-8  
 जयपुर विकास प्राधिकरण  
 जयपुर

प्रतिलिपि जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सूचना का दौ दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने का श्रम करावें।

  
 प्राधिकृत अधिकारी,  
 जिन-8  
 जयपुर विकास प्राधिकरण  
 जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/सी- 2136

दिनांक 24/8/23

## आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भू.सं.	भू.क्ष. व0ग0	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री कैलाश चन्द गीणा पुत्र श्री धासी लाल गीणा	रदयं	21	200	बन्धु गृ.नि.स.स	सचिवालय विहार विस्तार	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में गृहण्ड संख्या 21 अंकित नहीं होने से।
2	श्री आदर्श सक्सेना पुत्र श्री अतुल सक्सेना	श्रीमती शिवांगी सक्सेना पत्नी श्री अतुल सक्सेना	64, 65	166.66 166.66	निजी खातेदारी	नारायण विहार एस ब्लॉक	फ्री होल्ड	मृत्यु उपरान्त दिनांक 03.08.2023 को रजि0 हकत्याग होने से।

  
उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी- 2142

दिनांक 24/8/23

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड / दुकान	भूखण्ड क्षेत्र (व0ग0)	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री मनोज गुप्ता पुत्र श्री सत्यप्रकाश आर्य	श्री राकेश गोयल पुत्र स्व0 श्री मदन लाल गोयल	72	245.00	निजी खातेदारी	विनायक विहार	लीजडीड	अपंजीकृत वसियतनामा, पारिवारिक सजरा, मृत्यु प्रमाण पत्र होने से।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 1665

दिनांक: 24/8/2022

## आम सूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2022 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित शंकर भवन गृ.नि.स.स. की योजना- गोपाल नगर के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है


क्र सं	सदस्य का नाम	भूखण्ड संख्या
1	जानकारी का अभाव	1
2	जानकारी का अभाव	2
3	श्री श्याम सिंह पिता श्री भवानी सिंह	3
4	जानकारी का अभाव	4
5	श्री प्रेम चन्द शर्मा पिता श्री रतन लाल शर्मा	5 व 6
6	श्री भानुप्रताप सिंह पिता स्व. श्री गजेन्द्र सिंह	6ए
7	श्री उमराव सिंह यादव पिता श्री नवल किशोर यादव	6बी
8	श्री श्रीमती सुप्यार कंवर पत्नी श्री किशोर सिंह	7 व 8
9	श्री हेमाराम पिता श्री करणाराम	9
10	जानकारी का अभाव	10
11	श्रीमती शमा इकराम पत्नी श्री इकाराम उल हक	11
12	श्री चन्द्रशेखर पिता स्व. श्री गुलाब सिंह, श्री योगेश, श्रीमती ममता पत्नी श्री चन्द्रशेखर	12
13	श्री जगदीश प्रसाद, श्री कमलकिशोर, श्री हरिशंकर, मधुसूदन पिता श्री भंवर लाल	13 एवं 14
14	श्री रामस्वरूप पिता श्री हनुमान प्रसाद गौड़	15 प्रथम
15	श्री माधोसिंह पिता श्री सुरेन्द्र सिंह रत्नु	15 द्वितीय
16	श्री मोहन लाल पिता श्री नन्दराम	15ए
17	जानकारी का अभाव	16
18	श्रीमती आशा शर्मा पत्नी बालेन्दु शर्मा	17
19	जानकारी का अभाव	17ए
20	श्री कुलदीप कुमार कुलश्रेष्ठ, श्री चन्द्र मोहन बैराठी, श्रीमती मधु माथुर	17बी
21	श्री अनिल, श्री साहिल, श्रीमती आभा, श्रीमती देवकी	18
22	श्री भंवरी देवी पिता श्री रामनारायण जांगिड़	19
23	श्री संजय कुमार शर्मा	19ए ई
24	श्री राकेश जिदल पिता श्री गिरजाशंकर	19ए
25	श्री गोविन्द, अजय, मनीष	20
26	जानकारी का अभाव	21
27	श्रीमती मीना साठीवाल पिता श्री सुरेश कुमार	22
28	जानकारी का अभाव	23
29	जानकारी का अभाव	24



# जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

  
उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जोन-7, जविप्रा, जयपुर  
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

**प्राधिकृत अधिकारी जोन-4**  
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**

क्रमांक-जविप्रा/जोन-4/2023/डी-176)

दिनांक 24-08-2023

**लोक सूचना**

इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि ग्राम- सांगानेर, तहसील सांगानेर के खसरा नं.- 22, 23, 24/4995 गैर खातेदार एवं खसरा नं. 18 खातेदार में गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वोपन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

खातेदारों/उत्तराधिकारियों का विवरण	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
1. गोपी लाल सैनी पुत्र डगल्या हिरसा 1/2 2. राजादेवी पत्नि रामू हिरसा 1/2 के वारिश 1. मुन्ना देवी पत्नि मूलचन्द 2. जगदीश पुत्र मूलचन्द 3. संतोष पुत्री मूलचन्द 4. हेमलता पुत्री मूलचन्द 5. रतन प्रभा पुत्री मूलचन्द	सांगानेर	22 गैर खातेदार	0.10 हैक्टेयर
1. गोपी पुत्र छोदू जाति माली वारिश 1. रामनारायण पुत्र गोरी लाल 2. चौथीदेवी पत्नि सेडूराम 3. दीन दयाल पुत्र सेडूराम 4. सुनील पुत्र सेडूराम 5. बदाम पुत्री सेडूराम 6. गीता पुत्री सेडूराम 7. मांगीदेवी पत्नि मूल चन्द 8. मांगीलाल पुत्र मूल चन्द 9. शांती पुत्री मूलचन्द 10. शकुन्तला पुत्री मूलचन्द 11. गणेशनारायण पुत्र देवी नारायण 12. नारायणी पुत्री देवीनारायण 13. विमल कुमार सैनी पुत्र रामसरण 14. विजय सैनी पुत्र रामसरण 15. पिकी पुत्री रामसरण 16. लादी देवी पत्नि ईश्वर लाल 17. गिराज सैनी पुत्र ईश्वर लाल 18. लाली देवी पुत्र ईश्वर लाल	सांगानेर	23, 24/4995 गैर खातेदार	0.29 हैक्टेयर
1. दुल्लीचन्द पुत्र श्री गणेश के वारिश 1. गोरू लाल पुत्र दुलीचन्द 2. रामचरुप पुत्र दुल्ली चन्द 3. बंशीलाल पुत्र दुल्ली चन्द 4. दिनेश पुत्र दुल्ली चन्द 5. हरिनारायण पुत्र दुल्ली चन्द 6. मुन्ना देवी पुत्री दुल्ली चन्द 7. विमला पुत्र दुल्ली चन्द	सांगानेर	18 खातेदार	0.51 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि, यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वोपन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक-24-08-2023 को जारी की गयी।

24  
प्राधिकृत अधिकारी जोन-4  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा  
90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या... 1662

दिनांक... 23/8/2023

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण खोरा नीणा गृ.नि.स.स.लि. की योजना श्री राम नगर-द्वितीय के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
हरनाथपुरा तह. जयपुर	323	0.6703	1. अनिल कुमार पुत्र बलवीर सिंह हिस्सा-1/6 2. अशोक कुमार पुत्र बलवीर सिंह हिस्सा-1/6 3. चेतन पुत्र सूरतसिंह हिस्सा-1/12 4. चेतना पुत्री सूरतसिंह हिस्सा-1/12 5. चिराग पुत्र सूरतसिंह हिस्सा-1/12 6. संजीवकुमार पुत्र राजसिंह हिस्सा-1/3 7. सावित्री पत्नी सूरतसिंह हिस्सा-1/12 सर्व जाति अहीर (यादव) सा. झोटवाड़ा खातेदार
	321	0.3667	1. अनिल कुमार पुत्र बलवीर सिंह हिस्सा- 1/8 जाति अहीर (यादव) सा. झोटवाड़ा खातेदार 2. अशोक कुमार पुत्र बलवीर सिंह हिस्सा- 1/8 जाति अहीर (यादव) सा. झोटवाड़ा खातेदार 3. चेतन पुत्र सूरतसिंह हिस्सा- 1/16 जाति अहीर (यादव) सा. झोटवाड़ा खातेदार 4. चेतना पुत्री सूरतसिंह हिस्सा- 1/16 जाति अहीर (यादव) सा. झोटवाड़ा खातेदार 5. चिराग पुत्र सूरतसिंह हिस्सा- 1/16 जाति अहीर (यादव) सा. झोटवाड़ा खातेदार 6. परसराम पुत्र मु. रूगनाथ हिस्सा- 1/8 जाति बागड़ा सा देह खातेदार 7. मूलचन्द पुत्र नन्दा हिस्सा-1/8 जाति- बागड़ा ब्राह्मण सा.देह खातेदार 8. संजीवकुमार पुत्र राजसिंह हिस्सा- 1/4 जाति अहीर (यादव) सा. झोटवाड़ा खातेदार 9. सावित्री पत्नी सूरतसिंह, हिस्सा- 1/16 जाति अहीर (यादव) सा. झोटवाड़ा खातेदार

324	0.0126	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कमलकिशोर पुत्र हरिनारायण हिस्सा-1/4 जाति-बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार</li> <li>2. गुलाबदेवी पत्नि मदनलाल शर्मा हिस्सा-1/12 जाति-बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार</li> <li>3. चिरंजीलाल पुत्र पेमा हिस्सा-1/12 जाति-बागड़ा ब्राह्मण सा. नि. बागड़ों की ढाणी ग्राम हरनाथपुरा खातेदार</li> <li>4. प्रभातीलाल पुत्र पेमा हिस्सा-1/12 जाति-बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार</li> <li>5. राजेन्द्र पुत्र हरिनारायण हिस्सा-1/4 जाति-बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार</li> <li>6. संज्यादेवी पत्नि श्रवणलाल शर्मा हिस्सा-1/12 जाति-बागड़ा ब्राह्मण सा. देह खातेदार</li> <li>7. सियाराम पुत्र पेमा हिस्सा-1/12 जाति-बागड़ा ब्राह्मण सा. नि. बागड़ों की ढाणी ग्राम हरनाथपुरा खातेदार</li> <li>8. सीतराम पुत्र पेमा हिस्सा-1/12 जाति-बागड़ा ब्राह्मण सा. नि. बागड़ों की ढाणी ग्राम हरनाथपुरा खातेदार</li> </ol>
-----	--------	--

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.जा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो समय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्याप्त कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 23/09/21 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

— S. D. —  
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्यो हस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।
2. तहसीलदार जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त  
जोन-07 जविप्रा, जयपुर  
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी  
जोन-7, जविप्रा, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति को पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	पूरा आरटी/लीजहोल्डर का नाम	प्लॉट संख्या	प्लॉट का क्षेत्रफल वर्ग मी.	यू.नि.स.ए./निजी/राजस्व/अविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया	कार्यनाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री निष्पु प्रकाश खण्डेलवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल	श्री दे.जे. चौखानी पुत्र श्री बी.के. चौखानी	बी-70 एण्ड बी-69 वेस्ट पार्ट	639.81	बदनपुरा फकीरा की डूंगरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	सुन्दर नगर-बी	लीजहोल्ड	आवेदन पत्र, साइट प्लान, रसीद, इकरारनामा
2.	श्री सुभाष प्रकाश खण्डेलवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल	श्री ब्रह्म लीहार पुत्र श्री रामनाथ लीहार	बी-69 ईस्ट पार्ट	223.114	बदनपुरा फकीरा की डूंगरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	सुन्दर नगर-बी	लीजहोल्ड	आवेदन पत्र, साइट प्लान, रसीद, इकरारनामा

उपायुक्त

पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),  
जयपुर, जयपुर

जन संपर्क अधिकारी

जयपुर, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक: जयपुर/उप. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम)/2023/डी-1820 दिनांक 24.10.2023

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : इंटीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ई-मेल)



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jdu.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक 1.U/2012/JDA/2023-24/102809

दिनांक - 17/08/2023

## लोक सूचना


श्रीमती गीतासिंह देव पत्नि श्री ओमप्रकाश गीणा निवासी एच-47, टेंगोर पथ कलेक्ट्रेट के पास, बनीपार्क, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिघृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्—

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1.	ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर	गीतासिंह देव पत्नि ओ.पी. गीणा हिस्स पूर्ण जाति गीणा सा. बनीपार्क खातेदार	918/384	0.8220 में से 0.0500
			कुल किता 01	0.8220 में से 0.0500

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिघृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिघृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDII) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17-08-2023 को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी जौन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि/लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री नवल किशोर मोदानी पुत्र श्री गौरी शंकर मोदानी	श्रीमती मिनाक्षी शर्मा पत्नी श्री मुदुल	217, 232 233	194.44	निजी खातेदारी	नारायण विहार-डी	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान रसीद, हस्तांतरण लेख एवं मानचित्र, मौका स्थिति एवं सूची में भिन्ता।

जन संपर्क अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम)/2023/डी-

1821

दिनांक

24/08/2023

उपायुक्त  
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-07  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102840 D-1670

दिनांक: 24/08/2023

लोक सूचना

श्रीमति ARCHANA SHARMA पत्नी श्री RAJESH SHARMA जाति BRAHMAN निवासी FLAT NO. 504 ROYAL CASTLE APARTMENT PLOT NO. 2/53 SECTOR 2 NEAR MAPEL GARDEN CHITRAKOOT JAIPUR

श्रीमति KUSUM SHARMA पत्नी श्री VIJAY SHARMA जाति BRAHMAN निवासी C-147 DASRATH MARG HANUMAN NAGAR KHATIPURA JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सिरसी, जयपुर (जयपुर)	ARCHANA SHARMA AND KUSUM SHARMA	2468/2458	1680	0.168
				कुल	0.168

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24-08-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-07  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जोन-7, जयपुर, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-07  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102841

0-1671

दिनांक: 24/08/2023

लोक सूचना

श्रीमति KUSUM SHARMA पत्नी श्री VIJAY SHARMA जाति BRAHMAN निवासी C-147 DASHRATH MARG HANUMAN NAGAR KHATIPURA JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सिरसी, जयपुर (जयपुर)	KUSUM SHARMA	2465/2458	525	0.0525
कुल					0.0525

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24-08-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-07  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जोन-7, जयपुर

# कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-07

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102842

D-1669

दिनांक: 24/08/2023

### लोक सूचना

श्री VIJAY KUMAR SHARMA पुत्र श्री KALYAN SAHAI SHARMA जाति BRAHMAN निवासी C-147  
DASHRATH MARG HANUMAN NAGAR KHATIPURA JAIPUR

श्री RAJESH SHARMA पुत्र श्री KALYAN SAHAI SHARMA जाति BRAHMAN निवासी FLAT NO. 504  
ROYAL CASTLE APARTMENT PLOT NO. 2/52, 53 SECTOR-2 NEAR MAPEL GARDEN  
CHITRAKOOT JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सिरसी, जयपुर (जयपुर)	RAJESH AND VIJAY	2467/2458	1230	0.123
				कुल	0.123

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7-दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24-08-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-07  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी  
जोन-7, जयपुर